



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072024-255662
CG-DL-E-23072024-255662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401]
No. 401]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 2024/श्रावण 1, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 2024/SHRAVANA 1, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

संख्या 37/2024-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 440(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011, जिसे सा.का.नि. 153 (अ), दिनांक 01 मार्च, 2011, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“25क.	4101 20 10, 4101 20 90, 4101 50 10, 4101 50 90, 4101 90 10, 4101 90 90, 4102, या 4103	कच्ची खाल और चर्म या कच्चा चर्म (भैंस की कच्ची खाल और चर्म को छोड़कर)	40%
25ख.	4101 20 20, 4101 50 20, या 4101 90 20	भैंस की कच्ची खाल और चर्म	30%
25ग.	4104	ई. आई. टैन चर्म के अलावा गोजातीय (भैंस सहित) या अश्व पशुओं की टैन या क्रस्ट खाल और चर्म	20%
25घ.	4105	ई. आई. टैन चर्म के अलावा भेड़ या मेमनों की टैन या क्रस्ट चर्म	20%
25ङ.	4106	ई. आई. टैन चर्म के अलावा अन्य जानवरों की टैन या क्रस्ट खाल और चर्म	20%
25च.	4104, 4105, या 4106	ई. आई. टैन चर्म	शून्य
25छ.	41	बकरी, भेड़ और गोकुलीय पशुओं और उनके मेमनों के परिसज्जित चर्म	शून्य
25ज.	4301	कच्ची फरस्किन	40%
25 झ.	4302	टैन या सजी हुई फरस्किन	20%”;

(ii) क्रम संख्या 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38क, 38ख, 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 24 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/03/2024-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या 27/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011 को सा.का.नि. 153(अ), दिनांक 01 मार्च, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 24/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 03 मई, 2024, जिसे सा.का.नि. 269(अ), दिनांक 03 मई, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2024

No. 37/2024-Customs

G.S.R. 440(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2011-Customs dated the 1st March, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011, namely :-

In the said notification, in the Table,

(i) after S. No. 25 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and the entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“25A.	4101 20 10, 4101 20 90, 4101 50 10, 4101 50 90, 4101 90 10, 4101 90 90, 4102, or 4103	Raw hides and skins or Raw skins (excluding raw hides and skins of buffalo)	40%
25B.	4101 20 20, 4101 50 20, or 4101 90 20	Raw hides and skins of buffalo	30%
25C.	4104	Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, other than E.I. tanned leather	20%
25D.	4105	Tanned or crust skins of sheep or lambs, other than E.I. tanned leather	20%
25E.	4106	Tanned or crust hides and skins of other animals, other than E.I. tanned leather	20%
25F.	4104, 4105, or 4106	E.I. tanned leather	Nil
25G.	41	finished leather of goat, sheep and bovine animals and of their young ones	Nil
25H.	4301	Raw furskins	40%
25I.	4302	Tanned or dressed furskins	20%”;

(ii) S. Nos. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 38B, 39 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into effect on the 24th day of July, 2024.

[F. No. 334/03/2024-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No. 27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011 and last amended *vide* notification No. 24/2024-Customs, dated the 3rd May, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 269 (E), dated the 3rd May, 2024.